रांची, बुधवार, 29 जुलाई 2015

सन्मार्ग

अवैध माइनिंग पूरी तरह बंद हो: हाइकोर्ट

संवाददाता

रांची : हजारीबाग में अवैध माइनिंग व क्रशरों से हो रहे प्रदूषण को लेकर हेमंत शिकरवार की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से मौखिक तौर पर कहा कि राज्य में अवैध माइनिंग को पूरी तरह बंद करायें। रातों रात अवैध माइनिंग पर रोक लगायी जाये। सुनवाई के दौरान माइंस डायरेक्टर सत्यप्रकाश नेगी ने कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर शपथ पत्र दाखिल किया। उनके द्वारा कोर्ट को बताया गया कि हजारीबाग में गैर कानूनी ढंग से चलने वाले माइनिंग कार्य व स्टोन क्रशर को बंद कर दिया गया है। इसपर खंडपीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि मान लिया जाये कि हजारीबाग में पूरी तरह अवैध माइनिग बंद हो चुकी है। इसपर माइंस डायरेक्टर ने कहा कि कुछ समय बाद पूरे राज्य में सभी क्रशर बंद करा दिये जायेंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सितंबर निर्धारित करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। माइंस डायरेक्टर द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उनके द्वारा अवैध माइनिग को रोकने के लिए टास्क फोर्स के साथ बैठक की गयी। साथ ही हजारीबाग में अवैध माइनिग वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। हजारीबाग के इचाक ब्लॉक अंतर्गत बोंगा में 30 क्रशर मशीन, इचाक मोड में 28 क्रशर मशीन तथा डुमरांव में 24 क्रशर मशीनों को बंद कराया गया है। साथ ही हजारीबाग में तीन अवैध माइंस को सील किया गया है। महाधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि एक सप्ताह में सभी अवैध माइनिग को बंद किया जाना संभव नहीं है, इसलिए अवैध माइनिग पर रोक लगाने के लिए कुछ समय दिया जाये। माइंस डायरेक्टर द्वारा दाखिल शपथ पत्र में बताया गया है कि हजारीबाग में 12 क्रशर होल्डर को लाइसेंस दिया गया है। वहां अवैध रूप से चलने वाले 322 क्रशर अबतक बंद कराये गये हैं। स्टोन माइंस के लिए 47 लोगों को लीज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अबतक अवैध रूप से चलने वाले 94 स्टोन माइंस को बंद कराया गया है।